संख्या- 4/2022/आई/16038/2022/001-77-1-2022-03budjet-19

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

संयुक्त् निदेशक, उद्योग,
लखनऊ, मण्डल लखनऊ ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 अप्रैल, 2022

विषय:- औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निगमों आदि से सम्बन्धित रिट याचिकाओं, वादों, अवमाननावादों आदि की पैरवी एवं अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 (लेखानुदान) में व्यय हेतु धनराशि का आबंटन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2021, दिनांक 30.12.2021 में जारी निदेशों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2022-23 (लेखानुदान) में प्राविधानित धनराशि रू0 60,00,000/- (रूपया साठ लाख मात्र) में से प्रथम चार माह (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022) के लिए धनराशि रू0 20,00,000/- (रूपया बीस लाख मात्र) का आवंटन/स्वीकृति औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निगमों आदि से सम्बन्धित रिट याचिकाओं, वादों, अवमाननावादों आदि की पैरवी एवं अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान, वादों की पैरवी में निहित व्यय की व्यवस्था हेतु इस शर्त के साथ प्रदान एवं आपको प्राधिकृत करते हैं कि आवंटित धनराशि सक्षम प्राधिकारी, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन की मांग पर आहरित कर यथासमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

01-स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसका सदुपयोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार, उ0प्र0 तथा वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

02-उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु, सक्षम अधिकारी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2021, दिनांक 30.12.2021 में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 2852808000600 न्यायालयों में वादों की पैरवी **मानक मद** 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार
सयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

संख्या- 4/2022/आई/16038/2022/001-77-1-2022-03budjet-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।

3-आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर।

4- उद्योग निदेशक, अर्थ अनुभाग, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त व्यवस्थित धनराशि सेन्ट्रल सर्वर पर अपलोड कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2021, दिनांक 30.12.2021 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें।

6-कोषाधिकारी,लखनऊ।

7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।